लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश

निर्देश क्र-3

गौतम नगर, भोपाल 462021

वेबसाइट www.shikshaportal.mp.gov.in ई–मेल sscholarship.dpi@gmail.com

क्र/समग्र/आह.वि/02/2018-19/31 भोपाल दिनांक 06/02/19

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.
5. समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक म.प्र.

विषयः-समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शिक्षा पोर्टल पर वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने विषयक।

संदर्भः- म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र/15/02/2019/20-2 दि. 05.01.2019

शिक्षा पोर्टल पर वर्ष 2018-19 का विद्यार्थियों का नामांकन एवं प्रोफाइल अपडेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2018-19 की संशोधित समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका जारी की गई है।

1. शिक्षा पोर्टल पर दर्ज विद्यार्थियों के प्रोफाइल में प्रविष्ट की गयी जानकारी के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन छात्रवृत्ति की पात्रता की गणना की जाती है। इस वर्ष प्रोफाइल अपडेशन एवं छात्रवृत्ति गणना का कार्य अप्रैल माह में प्रारंभ किया गया था इसके उपरान्त छात्रवृत्ति सबंधित विभागों द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता / दर/ शर्तों में परिवर्तन करने के कारण जारी की गई संदर्भित नवीन संशोधित विवरणिका अनुसार एन.आई.सी द्वारा शिक्षा पोर्टल पर आवश्यक संशोधन किए गए है एवं स्वीकृत छात्रवृत्ति की गणना पुनः की गयी है, जिसका पोर्टल पर अवलोकन किया जा सकता है |
2. **छात्रवृत्ति विवरणिका अनुसार शिक्षा पोर्टल पर छात्रवृत्ति दर/पात्रता/शर्तों में आवश्यक संशोधित / परिवर्धन किए जाकर छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। शिक्षा पोर्टल पर वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की नवीन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-**

2.1 शिक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रस्तावित स्वीकृत छात्रवृत्ति सूची संकुल प्राचार्य/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गयी है | संकुल प्राचार्य/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्तावित सूची में विद्यार्थियों को स्वीकृत छात्रवृत्ति की पात्रता/अपात्रता का परीक्षण विद्यार्थियों के अभिलेख/प्रमाणपत्रों के आधार पर किया जायेगा।

2.2 संकुल प्राचार्यों/स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्तावित स्वीकृति सूची में प्रस्तावों को अस्वीकृत/होल्ड किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः संकुल प्राचार्यों/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त सूची में छात्रवृत्ति पात्रता/अपात्रता का परीक्षण कर केवल अपात्र प्रस्तावों को अस्वीकृत/होल्ड कर सकेगें शेष पात्र पाए गए छात्रों की पोर्टल पर छात्रवृत्ति स्वीकृति स्वतः मान्य हो जाएगी.

2.3 **अनुसूचित जाति/जनजाति पोस्ट मेटिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु संबल योजना के हितग्राही पालकों के बच्चों की सूची संकुल प्राचार्य/स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है. यदि उक्त सूची में सम्मिलित विद्यार्थी से शुल्क लिया गया है. तो सूची में उसके नाम के सम्मुख "शुल्क लिया गया" कॉलम में मार्क करना होगा | जिससे विद्यार्थी को शुल्क प्रतिपूर्ति की जा सके. अतः यह जानकारी शत प्रतिशत प्रविष्ट की जाए एक बार स्वीकृत होने के बाद पुनः संशोधन नहीं किया जा सकेगा**

2.4 संकुल प्राचार्य को निर्धारित समयावधि में विद्यार्थी के प्रोफाइल में संशोधन किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यदि शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थी के प्रोफाइल की कोई जानकारी गलत/अपूर्ण दर्ज की गई है, जिससे विद्यार्थी की छात्रवृत्ति अस्वीकृत /होल्ड पर की गई है. संकुल प्राचार्य/ स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रोफाइल संशोधन करने पर विद्यार्थी को पुनः संशोधित छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकेगी।

2.5 **संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दिनांक 20 फरवरी 2019 तक अंतिम रुप से छात्रवृत्ति की पात्रता का परीक्षण कर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अस्वीकृत/होल्ड की जा सकेगी. उक्त् तिथि तक किसी प्रकरण को अस्वीकृत/ होल्ड नही किए जाने पर पोर्टल पर उक्त् सुविधा समाप्त हो जाएगी एवं प्रस्तावित सूची में सम्मिलित विद्यार्थियों को प्राचार्य/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पात्र निर्धारित किया गया है मानकर पोर्टल पर विद्यार्थियों को स्वतः छात्रवृत्ति स्वीकृत हो जाएगी एवं छात्रवृत्ति का भुगतान हो जाएगा।**

2.6 पोर्टल पर छात्रवृत्ति स्वीकृति की पात्रता एवं अपात्रता निर्धारण अंतिम रूप से संकुल प्राचार्य/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाना है, पश्चात में नियम विरूद् छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने का प्रकरण प्राप्त होने पर सबंधित संकुल प्राचार्य/स्वीकृतकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगे.

2.7 छात्रवृत्ति स्वीकृति की विस्तृत प्रक्रिया शिक्षा पोर्टल के HelpMenu में उपलब्ध है।

वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति का वितरण फरवरी के तृतीय सप्ताह में वन-क्लिक के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्तानुसार कार्रवाई दिनांक 20 फरवरी 2019 के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण करें. जिससे समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण किया जा सके।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

क्र/समग्र/आह.वि/02/2018-19/82
भोपाल दिनांक 6/2/19

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. द्वितीय तल सतपुडा भवन भोपाल।
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र. 35 राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल।
4. वित्तीय सलाहकार म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC विंध्यांचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ
6. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनिकी निदेशक NIC की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय सीमा में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.